

फाइनल डिक्ली मुकदमा इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

प्रकरण संख्या : 110/14, 114/14, 29/15

बचनवान -

आचुकी बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम तोरण, तहसील दीगोद, जिला कोटा

- (वादिनी)

बनाम

1. कान्ही बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी नन्द किशोर, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्या, तहसील लाडपुरा, कोटा
2. रेणू पत्नी मनोज, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. चाहन्या बाई पत्नी हीरालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
- 4-5. कन्हैयालाल, लक्ष्मण पिसरान रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, कोटा
6. राजाराम (फौत) पुत्र रामचन्द्र जरिये कायम मुकाम -
- 6/1. अनोख बाई पत्नी स्व. राजाराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
7. लक्ष्मीचन्द पुत्र रामचन्द्र (फौत), जाति मीणा जरिये कायम मुकाम -
- 7/1-3. ओमप्रकाश, अशोक, कैलाश बाई, पिसरान लक्ष्मीचन्द, जाति मीणा, निवासीग्राम ग्राम मोरपा, कोटा
- 8-9. किशन बिहारी, हीरालाल पिसरान घांसी, जाति मीणा, निवासीग्राम ग्राम मोरपा, तह लाडपुरा, कोटा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

- (प्रतिवादीगण)


वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी. एक्ट

इस न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण संख्या 110/14 बचनवान रामचन्द्र बनाम किशन बिहारी, प्रकरण संख्या 114/14 बचनवान रामचन्द्र बनाम खानी बाई के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्ली दिनांक 19.01.2004 तथा प्रकरण संख्या 29/15 बचनवान आचुकी बाई बनाम कान्ही बाई के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्ली दिनांक 08.08.2017 की अनुपालना में तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के पत्र क्रमांक 100 एवं 101 दिनांक 07.01.2020 से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर उभयपक्ष अभिभाषकगणों की सहमति एवं तथ्यात्मक रिपोर्टों का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन कर ग्राम एवं पटवार हल्का मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 66, 67, 68 142, 318 कुल किता रकबा हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1, 2, 124, 127, 228, 231, 232 कुल किता 7 रकबा 13.13 हैक्टर को खातेदारान के कब्जे व हिस्से के आधार पर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये निम्नानुसार अलग-अलग खाते में दर्ज कर राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म
1	आचुकी बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम तोरण, तहसील दीगोद, जिला कोटा	66 67 68	1.14 हैक्टर 0.58 हैक्टर 1.61 हैक्टर	
	योग	किता 8	3.33 हैक्टर	
2	कान्ही बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी नन्द किशोर, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्या, तहसील लाडपुरा, कोटा	1 67 142 318	1.57 हैक्टर 0.54 हैक्टर 0.05 हैक्टर 1.17 हैक्टर	
	योग	किता 3	3.33 हैक्टर	

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म
3	रेणू पत्नी मनोज, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हिस्सा 1/2, चाहन्या बाई पत्नी हीरालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हिस्सा 1/2	1	1.85 हैक्टर	
		2	0.18 हैक्टर	
		232	1.30 हैक्टर	
	योग	किता 3	3.33 हैक्टर	
4	कन्हैयालाल, लक्ष्मण पिसरान रामचन्द्र हिस्सा 1/2, अनोख बाई पत्नी स्व. राजाराम हिस्सा 1/4, ओमप्रकाश, अशोक, कैलाश बाई, पिसरान लक्ष्मीचन्द्र हिस्सा 1/4	1	0.81 हैक्टर	
		228	0.85 हैक्टर	
	योग	किता 1	1.66 हैक्टर	
5	किशन बिहारी, हीरालाल पिसरान घांसी, जाति मीणा, निवासीगण ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, कोटा	2	1.83 हैक्टर	
		124	0.75 हैक्टर	
		127	0.69 हैक्टर	
		228	2.19 हैक्टर	
		231	1.11 हैक्टर	
	योग	किता 1	6.57 हैक्टर	

निजx..... मुवालिफ x बाबत x इस मुकदमा के मय सूद बारह x फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक x बाद करूंगा। यह संशोधित फाईनल डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 01 फरवरी, 2021 को जारी की गई।



(बालकृष्ण तिवारी) RAS
सहायक कलेक्टर, कोटा
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1.वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	